न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 94 / 2017 (उदयपुर डिकी)

1. नोजा उर्फ नोजीराम पिता पेमा जी डांगी, निवासी गुडली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. भेरा पिता पेमा जी डांगी, निवासी गुडली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. वेला पिता दल्ला जी डांगी, निवासी गुडली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. नाथू पिता दल्ला जी डांगी, निवासी गुडली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. वगता पिता लिम्बा जी डांगी, निवासी गुडली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. डूंगा पिता लिम्बा जी डांगी, निवासी गुडली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. वेला पिता लिम्बा जी डांगी, निवासी गुडली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती गंगा पुत्री लिम्बा जी डांगी, निवासी ग़डली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती मगदु पुत्री लिम्बा जी डांगी, निवासी गुडली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती नवी पुत्री लिम्बा जी डांगी, निवासी गुडली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
9. देवा पिता मावा जी डांगी, निवासी गुडली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
10. खीमा पिता मावा जी डांगी, निवासी गुडली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
11. पदा पिता पेमा जी डांगी, निवासी गुडली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिकी उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 22.05.2017 प्र.सं. 137/14

———/———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री राजेश पटेल अभिभाशक अपीलान्टगण
2. श्री भीमराज पटेल अभिभाषक रे॰सं॰ 1 व 2

———:::———

निर्णय दिनांक

20–05–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गुडली में आराजी नंबर 5081 रकबा 0.0300 हैक्टर भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम 1/3, प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के नाम 1/3 एवं 1/3 हिस्सा अन्य खातेदार के नाम दर्ज है, जिन्हें प्रतिवादी पक्षकार नहीं बनाया गया है, क्योंकि उनके हिस्से बाबत् विवाद नहीं है। उक्त आराजी नंबर 5081 पीपली वाले कुंए के नाम से जाना जाता है, जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बाप–दादाओं के समय से कुंआ खुदा हुआ है, जिसमें वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा है तथा इसी अनुसार काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त कुंए में भेरा, पदमा व नोजा पिता पेमा का 1/3 हिस्सा है तथा पेमा पिता रोड़ा डांगी के नाम विद्युत कनेक्शन ले रखा था, जो पानी नहीं होने से कटवा दिया गया था, लेकिन सन् 1998 पुनः कनेक्शन करवाया गया, जिसमें मोटर पाईप आदि में करोब 18000/– रूपये का खर्च आया जिसमें वादीगण ने 2/3 हिस्सा खर्च किया, शेष 1/3 हिस्सा पेमा ने खर्च किया एवं उक्त

कुंए से वादीगण अपने खेतों की सिंचाई करते चले आ रहे हैं। वादीगण ने उक्त कुंए पर संवत् 2030 में ढाणा बनवाया एवं दिनांक 01–08–1973 को वादीगण के नाम पर उक्त कुंए पर पत्थर लगवाया, जिसके फोटोग्राफ दावे के साथ पेश हैं। उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का कोई हक हिस्सा नहीं है, लेकिन राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर बुरा असर पड़ रहा है। अतएवं वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वाद वर्णित आराजी नंबर 5081 कुआनामी पीपलीवाला में वादीगण प्रत्येक को 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन कराया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 7 व 8 की आरे से सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 4 से 6 द्वारा भी सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण को लोक अदालत में रखा जाकर अपने निर्णय दिनांक 22–05–2017 से वादीगण का वाद स्वीकार किया, जिसस रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 9 व 10 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 21–07–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री भीमराज पटेल उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण की तामील कराये बिना प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपीलान्टगण को बिना सूचना दिये व बिना सुने निर्णय पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के विपरीत है।

अतएवं अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी लिखित बहस में विशेष रूप से यह अंकित किया कि विवादित भूमि में अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11 तथा इनकी माता गोमी बेवा पेमा का 1/6 हिस्सा निहित है। गोमी फोत हो चुकी है तथा 1/6 हिस्सा मेगा, उदा पिता लखमा डांगी का है। उक्त दोनों हिस्सों बाबत् वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होने व उनसे कोई अनुतोष नहीं चाहते के कारण अधिनस्थ न्यायालय में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया, लेकिन अपीलान्टगण व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में आदेश 1 नियम 10 जा.दी. के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर उन्हें प्रतिवादी पक्षकार संख्या 9 से 11 बनाया गया तथा उनका पक्ष सुना गया। राजस्व लोक अदालत की सूचना सभी पक्षकारों को दी गयी, लेकिन अपीलान्टगण जानबूझकर उपस्थित नहीं हुए। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो डिक्री पारित की गयी है, वह विधि सम्मत है। अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि है। प्रकरण में दिनांक 15–03–2017 को 5 तनकियात भी कायम की गयी हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार प्रकरण साक्ष्य वादी की जिरह में नियत था। आदेशिका दिनांक 22–05–2017 अनुसार लोक अदालत में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 7 व 8 ही उपस्थित थे, शेष प्रतिवादीगण अनुपस्थित थे तथा पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा होने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं हैं। तद्नसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपोलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–05–2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की

जाती है कि अपीलान्ट/प्रतिवादी को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर तथा कायम शुदा तनकियों पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 22–07–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 20–05–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

सुरेन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह राठौड़, नि0 बेमला, तह0 गिर्वा हाल मकान नं.37 नाकोड़ा नगर 11, धाऊजी की बाड़ी व अन्य बेड़वास, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

बनाम

दलपतसिंह पिता मनोहरसिंह देवड़ा निवासी सिंगावतों का वाडा, देबारी तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

अपील नं॰.....47 / 2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....गिर्वा..... मुकाम.....मुवर्खे.....18.....माह.....07..... 2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....13....माह.....03.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी..श्री ओंकारलाल डांगी..मिनजानिब अपीलान्ट व..श्री महेन्द्र मेनारिया/राजमल राव

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–07–2016 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....13.....माह.....03... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।